

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 54
दिल्ली को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	752.98	...	752.98	790.00	...	790.00	787.49	80.00	867.49	812.00	300.00	1112.00
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	752.98	...	752.98	790.00	...	790.00	787.49	80.00	867.49	812.00	300.00	1112.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
1. 1984 के दंगा पीड़ितों को संबद्धित क्षतिपूर्ति	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
2. केंद्रीय करों और शुल्कों में शेयर के बदले अनुदान	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00
3. संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान	5.00	...	5.00	2.50	...	2.50	5.00	...	5.00
4. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	412.98	...	412.98	449.99	...	449.99	449.99	...	449.99	472.00	...	472.00
5. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र)	0.01	...	0.01	...	80.00	80.00	...	300.00	300.00
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	752.98	...	752.98	790.00	...	790.00	787.49	80.00	867.49	812.00	300.00	1112.00
कुल जोड़	752.98	...	752.98	790.00	...	790.00	787.49	80.00	867.49	812.00	300.00	1112.00
ख. विकासात्मक शीर्ष												
अन्य												
1. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	752.98	...	752.98	790.00	...	790.00	787.49	...	787.49	812.00	...	812.00
2. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	80.00	80.00	...	300.00	300.00
जोड़-अन्य	752.98	...	752.98	790.00	...	790.00	787.49	80.00	867.49	812.00	300.00	1112.00
कुल जोड़	752.98	...	752.98	790.00	...	790.00	787.49	80.00	867.49	812.00	300.00	1112.00

4. यह प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्कीमों के वित्तपोषण के लिए है।

1, 2 और 3. ये प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए वृद्धित क्षतिपूर्ति, केंद्रीय करों और शुल्कों में भाग के एवज में अनुदान और संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंशदान के लिए अनुदान शामिल हैं।

5. **बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (चंद्रावल जल शोधन संयंत्र):** राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रावधान है।